न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 21/2023(GCMS : 2023/142)

कालूराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण,** परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़, 101 कोर्ट रोड़, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन (राज.) 335512
2. **कम्पीटेन्ट अथोरिटी एण्ड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** भारतमाला परियोजना (लॉट–4/पैकेज–5) के अन्तर्गत इकोनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–754 के किम 81,688 (सूरतगढ़)
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान**
4. **भारत संघ सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कालूराम के अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह शेखावत उपस्थित हुए, उन्हें एड़मिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–5) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिटोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के कि.मी. 61.467 से कि.मी. 61.688 (सूरतगढ़) तक चार लेन के निर्माण के लिए निजी/राजकीय भूमि आवाप्ति हेतु उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अनुशंषा एवं भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. संख्या 2304(अ) दिनांक 05.06.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया। श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–5) के अन्तर्गत इकोनोमिक कॉरिडोर–अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के कि.मी. 61.467 से कि.मी. 81.688 (सूरतगढ़) तक चार लेन कार्य के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अर्जन योग्य/अवाप्तधीन भूमि के सम्बन्ध में जिला श्रीगंगानगर की तहसील सूरतगढ़ के ग्राम 11 एसपीडी, 2 बीएचएम, 3 टीटीडी''बी'', 10 एसपीडी, 2 बीएचएम''ए'', 3 टीटीडी''ए'', चाहरसर, ऐटां, गुसाईसंर, कोलासर, सांवलरसर, सरदारपुरा खर्था की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का.आ. 537(अ) दिनांक 29.01.2019 का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड II में किया गया, जिसमें प्रार्थी की भूमि चक सरदारपुरा खसरा नम्बर 204/6 की 1.1486 हैक्टेयर भूमि भी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अवार्ड संख्या 433 दिनांक 16.12.2019 से अवाप्त की गई और **मुआवजा निर्धारण किया गया जो बारानी भूमि मानकर दिया गया है जबकि प्रार्थी की भूमि नहरी थी।**

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा निर्धारण के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी को बिना सुने आपत्ति पेश करने का अवसर दिये बिना ही, भूमि की स्थिति व कीमत आदि को नजरअंदाज करते हुए अवार्ड जारी किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा निर्धारण के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई है इसलिए उनके द्वारा पारित अवार्ड आदेश को राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत चुनौती दी गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3 जी (5) के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा जारी अवार्ड को चुनौती देने में कोई [illegible] नहीं है इसलिए इसका प्रार्थना पत्र मियाद के अन्तर्गत माना जाकर इसकी अवाप्त भूमि का सही मुआवजे का निर्धारण किया जावे और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, सूरतगढ द्वारा दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जावे और नियमानुसार नहरी भूमि मानकर मुआवजे का निर्धारण किया जावे।

मैनें, प्रार्थी की बहस पर गहनता से मनन किया और पत्रावली और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 का अवलोकन किया जो प्रार्थी ने दिनांक 16.05.2023 को पेश किया था, जिसमे उसने **निम्न प्रार्थना की है :**

> **''भारतमाला परियोजना (लॉट4/पैकेज–5) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के कि.मी. 61.467 के कि. मी. 81.688 (सूरतगढ) के चार लेन निर्माण में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जारी अवार्ड संख्या 433 में संशोधन करके/निरस्त करके प्रार्थी को उक्तानुसार बाजार भाव से मुआवजा, वर्षों पुराने पेड़ों का मुआवजा, रिहायश हेतु बने मकानों–ट्यूबवैल व अन्य मशीनरी, जमीन में सिंचाई हेतु दबी पाईपों सहित उक्तानुसार समस्त का मुआवजा प्रार्थी को जारी करने का आदेश पारित किया जावे।''**

प्रार्थी द्वारा की गई उक्त प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा दिनांक 16.12.2019 को जारी अवार्ड को [illegible] उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत चुनौती दी गयी है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) निम्न प्रकार से है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3G. Determination of amount payable as compensation.—

> (5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) **is not acceptable to either of the parties, the amount shall,** on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government—

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह शेखावत का यह कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा जारी किये गये अवार्ड को आर्बीट्रेटर के समक्ष चुनौती देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए उनका प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के अनर्गत ग्रहण योग्य है, के संदर्भ में **माननीय Karnataka High Court Circuit Bench at Dharwad dated 12-10-2012 Betwwen T Yunis and National Highways Authority and others(2) का अवलोकन किया गया।** जिसके पैरा संख्या 12 निम्न प्रकार से तय किया गया है :

> On perusal of Article 119, we would have agreed with the arguments of the learned counsel for the appellant provided that the first respondent had made an application to set aside the award or get an award remanded for reconsideration or if he had filed an appeal into Court for confirmation and if the Arbitrator has already passed an award, if the person who had no grievance with the order, the said award has to be confirmed and if the person aggrieved by the award is intending to get the award set aside or getting the award remanded for reconsideration, then only Article 119 of the Limitation Act would apply, and therefore, contention of the appellant's counsel that 30 days limitation would be applicable to an application filed under Section 3G(5) of the National Highways Act cannot be accepted. Admittedly, as of now no award is passed by the Arbitrator. The amount determined by the competent authority under the National

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> Highways Act cannot be treated as an award passed by the Arbitrator. The contention of the appellant counsel is to consider the amount determined by the competent authority as award passed under the Arbitration. But, the said contention cannot be accepted by any Court of law. Therefore, the contention urged by the appellant has to be rejected. **Having seen all the three Acts, no period of limitation has been stipulated to seek a reference under Section 3G(5) of the National Highways Act. In such circumstances, the only provision available to the parties is to invoke Article 137 of the Limitation Act, which provids three years from the date on which right to apply accrues.** In the instant case, within a period of four months from the date of determining the value by the competent authority, Section 3G(5) application is moved.

इसीप्रकार राजस्थान हाईकोट, जयपुर बैंच द्वारा एसबी सिविल रिट पैटीशन नं. 5328/2014 – Madhavi Sharma Versus national Highways Authority and others निर्णय दिनांक 22.07.2015 के पैरा 10 एवं 11 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **10.** Aforsaid judgment having been rendered in writ petion filled by respondent National Highway Authority, has since attained finally, and the stand of the national Highways Authority before the High Court of Karnataka has to be accepted as valid even in the matters before this court because the [illegible] has been authoritatively determined by the Karnataka High Court that since no period of limitation has been stipulated under section 3G(5) of the national Highways Act, 1956, the only provision available to parties to invoke is the provision

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

of Section 137 of the Limitation Act, which provides for three years period to file such application from the date on which right to apply accrues

11. **In view of the above , all writ petitions are allowed in terms of Division Bench Judgment of Karnataka High Court in T. Yunis, Supra**. Impugned order passed by respondent District Collector, Dholpur, District Dholpur, is set aside. Matters are remanded back to the District Collector for passing appropriate order on merits treating the applications to be filed within limitation as admittedly in present cases applications have been filed within three years, and to decide the applications afresh within a period of one year from the date of the parties approach him along with a copy of this order, in accordance with law after recording evidences 12. Since this disposes of bunch of sixteen writ petitions, office to place a copy of this order on recort of each file of the bunch.

चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2023 को राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(5) के अन्तर्गत पेश किया गया है, जिसमें उसने मूल अवार्ड संख्या 433 दिनांक 16.12.2019 को चुनौती दी गई गई। राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(5) के अन्तर्गत कोई समय सीमा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा जारी अवार्ड को चुनौती देने के लिए निश्चित नहीं हैं किन्तु माननीय राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट पैटीशन नं. 5328/2014 – Madhavi Sharma Vs National Highways Authority and others निर्णय दिनांक 22.07.2015 एवं Karnataka High Court Circuit Bench at Dharwad dated 12-10-2012 Betwwen T Yunis and National Highways Authority and others(2) में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju.
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मामलों मे लिमिटेशन एक्ट की धारा 137 के प्रावधान लागू होगें, जिसके अनुसार निर्धारित अवधि 3 वर्ष की है, इस अवधि में ही सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा जारी अवार्ड को चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा धारा 3जी(5) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के अवार्ड दिनांक 16.12.2019 को चुनौती दी है, जो लगभग 3 वर्ष 4 माह बाद पेश की गई हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3 जी(5) अन्दर मियाद न होने के कारण सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालयों के उक्त निर्णयों के अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) ग्रहण योग्य न होने के कारण, गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3जी(5) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested